(132)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3523–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–7–14 पारित द्वारा अधीक्षक, भू–अभिलेख भोपाल प्रकरण कमांक 2/अ–12/2013–14.

1– विमल सिंह मीणा
2– करतार सिंह मीणा
3– पदम सिंह मीणा
तीनों पुत्रगण स्व. बाबूलाल मीणा
निवासीगण ग्राम थुआ खेड़ा
तहसील हुजूर कोलार रोड, भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

सी.आई. बिल्डर्स प्रा.लि.
द्वारा डायरेक्टर, वरूण मलिक
निवासी 182, जोन–1
एम.पी. नगर, भोपाल .....अनावेदक

श्री राजेन्द्र गिरी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री देवेन्द्र साहू, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/5/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अधीक्षक, भू–अभिलेख भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ए.डी.एम. भोपाल के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नम्बर 6, 7/1, 29, 30, 31, 32, 33, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39 (नये नम्बर) 35, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2 एवं 39/3 कुल रकमबा 12.471 हेक्टेयर स्थित ग्राम थुआ खेड़ा तहसील हुजूर जिला भोपाल के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । ए.डी.एम. द्वारा सीमांकन हेतु अधीक्षक, भू–अभिलेख को आवेदन पत्र भेजा गया । अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–12/2013–14 दर्ज कर दिनांक 18–7–14 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । अधीक्षक, भू–अभिलेख के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक द्वारा आवेदकगण की भूमियां कय करने के पश्चात 2.00 एकड़ भूमि आवेदकगण के पास शेष बची थी, जिसका बटांकन भी हो चुका है, इसके बावजूद भी नक्शे से हटकर सीमांकन की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा आवेदकगण पर विधिवत सीमांकन की सूचना की तामीली कराये बिना उनकी अनुपस्थिति में विकय पत्र में दर्शित चर्तुसीमा से हटकर सीमांकन किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अधीक्षक, भू–अभिलेख ने पूर्व से स्वीकृत बटानों को अनदेखा करते हुए ए.डी.एम. द्वारा सीमांकन संबंधी दिये गये निर्देश का पालन करने के बजाय पूर्व की बटान को निरस्त करते हुए सक्षम अधिकारी से नक्शा दुरूस्ती की स्वीकृति प्राप्त किये बगैर उपलब्ध नक्शे पर सुधार करने के पूर्व आवेदकगण को मौके पर सीमांकन संबंधी अंतिम कार्यवाही का कोई सूचना पत्र तामील कराये बगैर मनमाने तरीके से आवेदकगण की अनुपस्थिति में किये गये सीमांकन के आधार पर तैयार किया गया नक्शा व सीमांकन प्रतिवेदन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, क्योंकि ए.डी.एम. द्वारा केवल सीमांकन करने हेतु आवेदन पत्र को अग्रेषित किया गया है, जिसमें पूर्व की बटान निरस्त करने एवं पुनः बटांकन बनाते हुए नये अक्स तैयार करने के कोई निर्देश नहीं दिये गये थे और न ही आवेदन में ऐसे किसी नये बटांकन

को करवाने के संबंध में कोई निवेदन किया गया था, उसके बावजूद भी जो सहायता नहीं चाही गई है, उससे हटकर नया नक्शा बनाते हुए सीमांकन की जो कार्यवाही की है, विधि की मंशा के विपरीत है, इस कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा आवेदकगण की जानकारी में लाये बिना सीमांकन संबंधी जॉच, पंचनामा कार्यवाही एवं नक्शा दुरूस्ती संबंधी आदेश दिनांक 18–7–14 पारित किया गया है, जिसकी सूचना भी आवेदकगण को नहीं दी गई है ।

(5) प्रश्नाधीन भूमियों का वर्ष 2010 में सीमांकन किया जा चुका है तथा अनावेदक को भूमि प्राप्त हो चुकी है, इस बात का शपथ पत्र अनावेदक द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया है, अतः पुनः प्रश्नाधीन भूमियों का सीमांकन करने का कोई औचित्य नहीं है ।

(6) अनावेदक, आवेदकगण पर उनकी शेष बची भूमियों को विक्रय करने का दबाव बनाता रहा, और उसके दबाव में नहीं आने के कारण ही राजस्व अधिकारियों से मिलकर उक्त सीमांकन कराया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक को एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाने थे, परन्तु उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखत तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का पूर्व में वर्ष 2011 में सीमांकन हुआ है और वर्ष 2014 में जो सीमांकन किया गया है वह पूर्व में किये गये सीमांकन के पूर्णतः विपरीत है । स्पष्ट है कि दिनांक 15–6–14 को किया गया सीमांकन अनावेदक को लाभ पहुॅचाने के उद्देश्य से किया गया है । दिनांक 15–6–14 को किये गये सीमांकन की सूचना भी आवेदकगण पर तामील नहीं हुई है । सीमांकन प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट है कि सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा सीमांकन में नक्शा, सुधार, रकबा बरारी एवं बटांकन संबंधी समस्त कार्यवाही की गई है जिसका क्षेत्राधिकार सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख को प्राप्त नहीं है, अतः स्पष्ट है कि सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा एक पक्ष को लाभ पहुॅचाने के

उद्देश्य से आवेदकगण की भूमि जो कि मुख्य मार्ग पर थी, पीछे कर दी गई है । स्पष्ट है कि अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18–7–14 पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीक्षक, भू–अभिलेख भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–14 निरस्त किया जाता है एवं सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख के द्वारा अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही किये जाने से उनके विरूद्ध विभागीय जॉच प्रस्तावित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर